आदेश की क्रम सं0 और तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, खगड़िया

जमावंदी अपील वाद सं0–5/2012

नन्दलाल सिंह----------अपीलार्थी

वनाम्

मुशहरू सिंह वगैरह----------उत्तरवादी

–:आदेश:–

27.11.12

अपीलार्थी श्री नन्दलाल सिंह पे0–सुखदेव सिंह, ग्राम–चोढ़ली निषाद टोला, थाना–बेलदौर, जिला–खगड़िया एवं अन्य–17 अपीलार्थीगण ने मुशहरू सिंह पे0–स्व0 सिंघेश्वर सिंह तथा अन्य–12 व्यक्तियों को विपक्षी बनाते हुए निम्नलिखित व्यौरे की भूमि पर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोगरी द्वारा जमाबंदी कायम वाद सं0–18/2011–12 में पारित आदेश के विरूद्व यह अपील वाद लाया है।

मौजा	थाना नं0	तौजी नं0	जमाबंदी नं0	रकवा वी0 क0 धू0 धूर0
बलैठा	150	525	244	00– 18–17– 00

अपीलार्थीगण का यह कथन है कि उभय पक्ष स्व0 ओहारी गोढ़ी के वंशज हैं इनके तीन पुत्र क्रमशः भूमि गोढ़ी, रामेश्वर गोढ़ी तथा सिंघेश्वर गोढ़ी हुए। इन तीनों के वंशज ही इस अपीलवाद के पक्षकार हैं, उन्हौने अपने आवेदन पत्र में वंशावली भी दर्शाया है। उस वंशावली के मुताबिक ओहारी गोढ़ी अपने पुत्र भूमि गोढ़ी के नाम से 17वी0 8क0 19धू0 जमीन वन्दोवस्त लिया था जिसमें तीनों भाई–बहन ने दर्वी देवी को 1वी0 जमीन दान स्वरूप दिया था जिसपर जमाबंदी सं0–425 दर्बी देवी के नाम कायम कर आज तक दखलकार है। शेष 16वी0 8क0 19धू0 जमीन जमाबंदी सं0–35/38 भूमि गोढ़ी के नाम कायम हुई जो तीन भाग में भूमि गोढ़ी के तीन भाईयों के बीच एक तिहाई बटबारा होकर प्रत्येक 5वी0 9क0 13धू0 जमीन हिस्से में मिली जिसपर वे दलखकार चले आ रहें है।

प्रश्नगत 18क0 17धू0 जमीन की जमाबंदी 244 सिंघेश्वर गोढ़ी के नाम कायम हुई जो वसोवास की जमीन है। उस पर भूमि गोढ़ी के दो पुत्र महादेव सिंह व सरयुग के हिस्से में मिली। उसी प्रकार भूमि गोढ़ी के शेष तीन पुत्र क्रमशः लखन सिंह, सुखदेव सिंह एवं वासदेव सिंह व रामेश्वर गोढ़ी के दो पुत्र नारायण सिंह एवं रामस्वरूप के दो तथा सिंघेश्वर गोढ़ी के चार पुत्र क्रमशः स्व0 गुच्चु सिंह, मोहन सिंह, धनपति सिंह पूर्व से आवास करते चले आ रहे है। शेष भाग पर खेतीवारी, बथान, बाँसबीटा वगैरह है उसकी जमाबंदी सं0–35/38 है।

अपीलार्थीगण का आगे कहना है कि विपक्षीगण बदनीयति से आवेदकगण को उत्तर तरफ वाली जमीन 18क0 17धू0 उनके दादा के नाम से होने के वास्ते अकेले हिस्सेदारी का दावा करते है जबकि ओहारी गोढ़ी अपने जीवन काल में ही 16वी0 8क0 19धू0 तथा विवादित भूमि 18क0 17धू0 का मौखिक बंटवारा एक तिहाई कर दिया था जो राजीखुसी से विगत 60 वर्षो से चलता आ रहा है। सिंघेश्वर गोढ़ी तथा उनके वंशजों द्वारा वेईमानी रवैये के तहत

आदेश की क्रम सं0 और तिथि	(3) आदेश और पेदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

अपना 18क0 17धू0 जमीन पर से भूमि गोढ़ी के उक्त दो पुत्र को भगाना चाहता है। निम्न न्यायालय ने अंचल अधिकारी के जाँच प्रतिवेदन अनदेखी कर आदेश पारित किया गया है जबकि विवाहित भूमि पर अपीलार्थीगण का आवास पाया गया है। उत्तरवादीगण जमाबंदी सं0–244 रकवा 18क0 17धू0 में हिस्सा देना नहीं चाहता है जबकि जमाबंदी सं0–35/38 रकवा 16वी0 8क0 9धू0 पर तिहायी हिस्सा मिला और उस पर विपक्षीगण अभी भी कायम है।

उत्तरवादीगण अपना जबाब दाखिल करते हुए स्वीकार किया है कि स्व0 ओहारी गोढ़ी के तीन पुत्र भूमि गोढ़ी, रामेश्वर गोढ़ी और सिंघेश्वर गोढ़ी थे जिसमें अपीलार्थीगण स्व0 भूमि गोढ़ी व स्व0 रामेश्वर गोढ़ी के वारिसान है। तथा उत्तरवादीगण सिंघेश्वर गोढ़ी के वारिसान है। स्व0 ओहारी गोढ़ी अपने जीवनकाल में सभी अर्जित जमीन का बंटबारा अपने तीनों पुत्रों के बीच जमींदारी उन्मूलन के पूर्व ही कर दिया था आौर जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् तीनों पुत्रों के हिस्से की जमीन की अलग–अलग जमाबंदी जमींदारी उन्मूलन के समय से ही कायम है जिसमें उत्तरवादी के पूर्वज सिंघेश्वर मंडल के नाम से जमाबंदी सं0–423 पूर्व रकवा 5वी0 9क0 13धू0 वर्त्तमान रकवा 4वी0 1क0 16धू0 तथा जमाबंदी सं0–244 रकवा 18क0 17धू0 भी सिंघेश्वर मंडल के नाम कायम है। इसी प्रकार भूमि गोढ़ी एवं रामेश्वर गोढ़ी के नाम से भी उनके हिस्से की जमीन की जमाबंदी अलग–अलग कायम हुई एवं भूमि गोढ़ी के वारिसानों ने भी आपसी बॅटबारा कर अपनी–अपनी जमाबंदी अलग करवा लिया।

उत्तरवादी का यह भी कथन है कि भूमि गोढ़ी, रामेश्वर गोढ़ी एवं सिंघेश्वर गोढ़ी तथा उन तीन के पुत्रगण अपने जीवन काल में कभी भी सिंघेश्वर गोढ़ी के हिस्से की जमाबंदी नं0–244 वाली 18क0 17धू0 भूमि पर हिस्सा का दावा नहीं किया। अचानक 60 वर्षो के बाद उपरोक्त विवादित भूमि पर एक तिहायी हिस्सा का दावा कर निम्न न्यायालय में जमाबंदी सुधार वाद दायर किया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना एवं पक्षकारों द्वारा दाखिल कागजातों का भी परिशीलन किया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोगरी द्वारा जमाबंदी कायम वाद सं0–18/2010–12 का भी गहन अध्ययन किया।

उपयुक्त तथ्यों के आलोक में मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि चूँकि अपीलार्थीगण विवादित भूमि के हिस्से का दावा करते है तथा इसके समर्थन में उन्होंने कोई ठोस कागजात प्रस्तुत नहीं किया है इसलिए यह वाद जमाबंदी सुधार से संबंधित प्रतीत नहीं होता है। यह मामला स्वत्व से संबंधित है जिसका निराकरण सक्षम न्यायालय में संभव है।

अतः इस अपीलवाद को खारिज किया जाता है साथ अपीलार्थीगण को सलाह दी जाती है कि विवादित भूमि के हिस्से/स्वत्व के लिए सक्षम न्यायालय के शरण लें।

लेखापित एवं संशाधित

अपर समाहर्त्ता,
खगड़िया ।

अपर समाहर्त्ता,
खगड़िया ।